

प्रार्थीगण का हिस्सा डिलीट कर दिया गया है। तहसीलदार मण्डावर ने अपने जबाब में भी इस तथ्य को स्वीकार किया है कि प्रार्थीगण का हिस्सा विक्रय पत्रों के अनुसार अंकित किया जाना उचित होगा।

इस प्रकार हम यह पाते हैं कि प्रार्थीगण का ~~प्रार्थना~~ ^{प्रार्थना} पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार योग्य पाया जाता है तथा प्रार्थीगण का हिस्सा अंकित किया जाना न्यायोचित है।

आदेश

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाकर ग्राम हरिपुरा तहसील मण्डावर की आराजी खसरा नम्बर 400/0.06, 401/0.08, 408/0.03, 410/0.22, 411/0.36, 412/0.39, 414/0.35, 415/0.36, 416/1.11, 417/2.50, 412/478/0.01, 417/486/0.17, 418/3.55, 423/1.33, 423/485/1.34, 424/0.55, 425/0.51, 426/0.51, 429/0.52, 430/0.46, 431/1.33, 432/0.96, 433/0.88, 434/0.12, 435/1.62, 448/1.84, 449/0.01, 450/0.60, 451/0.60, 452/0.35, 453/1.02, 454/0.08, 456/1.00, 457/0.31 कुल किता 34 एकड़ 25.13 हैक्टर में गणधारी लाल पुत्र गिराज जाति मीना निवासी ईसरीखेडा तहसील मण्डावर हि. 2/50 व सुरमादेवी पत्नि गणधारी जाति मीना निवासी ईसरीखेडा तहसील मण्डावर हि. 3/50 दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार मण्डावर को आदेश जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25-03-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
महुवा (जिल्ला कैलाश)